न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 495 सन 2019

अनवान :–

1. कलजीत कौर पत्नी गुरमेलसिह जाति जटसिख निवासी एाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 22/2/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 109/95 के प0न0 322/395(53) किला न0 5/2 की 0.228 ,6/0. 2530 ,15/.2530 ,16/.2530 ,25/.2530 ,कुल 1.2400हैक में से कलजीतकौर का 677/6200हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त वाद भूमि के किला न0 5/2 की 0.228हैक भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खाला दर्ज कर रखा है लेकिन जेएसएन नहर का निर्माण होने पर चकस्कीम रिवाईज होने पर सीऐडी विभाग के द्वारा उक्त खाला को निरस्त किया जाकर संशोधित चक स्कीम के अनुसार अन्यत्र खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिये मु0न0 53 के किला न0 5/2 में मौके पर कोई खाला नही है वादी के कब्जा काश्त में है वादी ही काश्त करता आ रहा है।

सीऐडी विभाग के द्वारा चक स्कीम बदलने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व चक स्कीम के अनुसार गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर खाला नही है वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर से खाला दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हकों की धोषणा करवाकर गै0मु0 खाला को बतौर खातेदार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की होती है।

वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु निवेदन किया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादी की वाद भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला की को कलमजन किया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी का वाद सिचाई विभाग से सम्बधित है सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जावे प्रतिवादी संख्या 2 ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयापक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 109/95 के प0न0 322/395(53) किला न0 5/2 की 0.228 ,6/0.2530 ,15/.2530 ,16/.2530 ,25/.2530 ,कुल 1.2400हैक में से कलजीतकौर का 677/6200हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त वाद भूमि के किला न0 5/2 की 0.228हैक भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खाला दर्ज कर रखा है लेकिन जेएसएन नहर का निर्माण होने पर चकस्कीम रिवाईज होने पर सीऐडी विभाग के द्वारा उक्त खाला को निरस्त किया जाकर संशोधित चक स्कीम के अनुसार अन्यत्र खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिये मु0न0 53 के किला न0 5/2 में मौके पर कोई खाला नही है वादी के कब्जा काश्त में है वादी ही काश्त करता आ रहा है।

सीऐडी विभाग के द्वारा चक स्कीम बदलने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व चक स्कीम के अनुसार गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर खाला नही है वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर से खाला दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हकों की धोषणा करवाकर गै0मु0 खाला को बतौर खातेदार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की होती है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादी की वाद भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला की को कलमजन किया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 19 जेएसएन के खाता संख्या 109/95 के प0न0 322/395(53) किला न0 5/2 की 0.228 ,6/0.2530 ,15/.2530 ,16/.2530 ,25/.2530 ,कुल 1.2400हैक में से कलजीतकौर का 677/6200हिस्सा भूमि वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उक्त भूमि के किला न0 5/2 में गैर मुमकिन खाला दर्ज है सायल का कथन है कि पूर्व सीऐडी चक स्कीम के अनुसार खाला दर्ज किया गया था सीऐडी चक स्कीम बदलने के कारण वर्तमान में उक्त भूमि में खाला नही है।

सिचाई विभाग के द्वारा वादी के कथनों के सम्बध में रिपोर्ट पेश की गई की रोही मौजा चक 19 जेएसएन के प0न0 329/395 मु0न0 53 के किला न0 5/2 में सिचाई विभाग के द्वारा किसी प्रकार का खाला स्वीकृत नही है।

सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वादी की भूमि मे किसी प्रकार का खाला दर्ज नही है खाला दर्ज करना सिचाई विभाग का कार्य जब सिचाई विभाग ने खाला स्वीकृत ही नही तो वादी की भूमि में खाला दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि में खाला नही होने के कारण वादी का वाद काबिल डिक्री है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एव सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन के प0न0 329/395 मु0न0 53 के किला न0 5/2 में दर्ज खाला को कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कलजीत कौर पत्नी गुरमेलसिह जाति जटसिख निवासी एाणी मोधुवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 495 सन 2020 निर्णय दिनांक– 22/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 19 जेएसएन के प0न0 329/395 मु0न0 53 के किला न0 5/2 में दर्ज खाला को कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की धोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/2/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)